एससीटीसी सं. 852

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के
कल्याण संबंधी समिति
(2022-2023)

(**सत्रहवीं लोक सभा**)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

के बारे में

'सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में ऐसी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

संबंधी

अठारहवां प्रतिवेदन

_19.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

_19.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना..		(iii)
प्राक्कथन.............		.(v)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.........	
अध्याय तीन	सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...........	
अध्याय चार	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पांच	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.......................	

परिशिष्ट

एक.	समिति की दिनांक 15.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश
दो.	आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण..

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी- सभापति

सदस्य –लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री तापिर गाव
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. कुमारी गोड्डेति माधवी
9. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री विनसेंट एच. पाला
12. श्री छेदी पासवान
13. श्री प्रिंस राज
14. श्री ए. राजा
15. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
16. श्रीमती संध्या राय
17. श्री जगन्नाथ सरकार
18. श्री अजय टम्टा
19. श्री रेबती त्रिपुरा
20. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

सदस्य – राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री नीरज डांगी
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री समीर उरांव
25. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
26 श्री राम शकल
27. डा. वी. शिवादासन
28. डा. सुमेर सिंह सोलंकी
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1.	श्री डी. आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री पी. सी. चोल्डा	-	निदेशक
3.	श्री वी. के. शैलॉन	-	उप सचिव

(iii)

प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित ''सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में ऐसी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ'' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अठारहवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक 15.12.2022 को इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया (परिशिष्ट एक)।

3. इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है:-

एक	प्रतिवेदन
दो	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
तीन	सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती।
चार	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।
पांच	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट दो में दिया गया है।

डॉ) .प्रो (.किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

नई दिल्ली
दिसंबर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

अध्याय एक

प्रतिवेदन

1.1 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऐसे संस्थाओं/बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सुविधाओं और अन्य लाभ" विषय पर समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 आठवां प्रतिवेदन 13 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें दस सिफारिशें/टिप्पणियां थीं। इन सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:-

(i) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है
(क्रम सं.1, 4, 7, 8, 9 और 10)

(ii) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती (शून्य)

(iii) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं
(क्रम सं. 2, 3, 5 और 6)

(iv) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (शून्य)

1.3 समिति अब अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हे दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है,पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।:-

सिफ़ारिश (सं.2)

1.4 समिति उत्तर से नोट करती है कि बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण समूह क के निम्नतम रैंक तक अर्थात कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -1 तक प्रदान किया जाता है। यद्यपि एसबीआई में प्रबंधकीय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में उच्च समूह क स्तरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अपेक्षित संख्या से बहुत कम है। समिति सर्वसम्मति से इस विचार से सहमत है कि आरक्षण का वैध अधिकार योग्य कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाना चाहिए। कतिपय मामलों में समिति को प्राप्त अभ्यावेदन में समिति ने पाया कि प्रतिभाशाली और साफ रिकॉर्ड वाले वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को पदोन्नति से ठीक पहले या पदोन्नति के समय छोटे-मोटे मामलों में आरोप लगा कर उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एसबीआई अपने संगठन में पदोन्नति मानदंड को संशोधित करे और योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अजा./ अजजा. अधिकारी को सीजीएम, डीएमडी आदि के उच्च पद पर जाने दे ताकि वे सेवानिवृत्ति के समय खुद को अलग-थलग/भेदभाव जैसा महसूस न करें। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसे सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले जिनकी पदोन्नति छोटी-मोटी लंबित जांच के कारण रुकी हुई जो उनकी पदोन्नति से ठीक पहले शुरू की गई थी, उसकी समीक्षा की जाए और उन्हें उनकी वैध पदोन्नति प्रदान की जाए। इस संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कम से कम डीजीएम के स्तर तक आरक्षण दिया जाए। इस तरह योग्य अजा./अजजा. कर्मचारियों को सही समय पर पदोन्नति मिलेगी।

सरकार का उत्तर

1.5 बैंक में आरक्षण/छूट सहित पदोन्नति नीतियां भारत सरकार/आईबीए के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं। बैंक बिना किसी भेदभाव के अपने सर्किलों में कार्यान्वयन के लिए निश्चित ग्रेड तक के कर्मचारियों के लिए मॉडल नीतियां तैयार करता है। इस प्रक्रिया में, बैंक हमेशा भर्ती / पदोन्नति और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करता है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/4/2014-वेलफेयर के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार पर

जारी संकलन के संदर्भ में और आईबीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार भी, यदि सीधी भर्ती, यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो पदोन्नति में आरक्षण जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I तक समान रूप से लागू किया जाता है। इसके अलावा, उसी सार संग्रह के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए अधिकारियों के संवर्ग के भीतर पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है जहां पदोन्नति चयन द्वारा होती है (बैंक में सभी पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है)। तथापि, बैंक ने डीएफएस और आईबीए दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड III तक रियायतें दी थीं।

जहां तक छोटी लंबित छुटपुट जांच के कारण रुकी हुई पदोन्नतियों के संबंध में माननीय समिति की सिफारिश का संबंध है, बैंक ने निम्नवत बताया:

i. अनुशासनात्मक कार्रवाई को तब तक 'विचाराधीन' या 'लंबित' नहीं समझा जाता है जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का विचार नहीं करता है और ऐसे अधिकारी की पदोन्नति सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाई जाती है।

ii. यहां तक कि जिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई 'विचाराधीन' या 'लंबित' होती है, तो उसे पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक उसका परिणाम रोक दिया जाता है।

iii. सतर्कता नियमावली के अनुसार, सभी अनुशासनात्मक मामलों को सख्ती से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना अपेक्षित होती है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए चार्जशीट किए गए कर्मचारी को एक मजबूत मंच प्रदान करने के अलावा समय के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

समिति की टिप्पणी

1.6 समिति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई उत्तर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि अब भी मुख्य प्रबंधक (सीएम), सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) और महाप्रबंधक (जीएम) स्तर पर मेधावी अजा./अजजा. अधिकारियों को उचित पदोन्नति के समय उनके खिलाफ मिथ्या आरोप लगाकर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि उनका पिछला रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा है और वे वरिष्ठ स्तर पर आरक्षण के बिना योग्यता के आधार पर पदोन्नति के हकदार हैं। समिति को पिछले दस वर्षों के दौरान चार्जशीट किए गए और जांच के बाद दोषमुक्त और पदोन्नत अधिकारियों का ब्यौरा दिया जाए।

सिफ़ारिश (क्र.सं.3)

1.7 समिति ने इस तथ्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि वर्तमान में एसबीआई के निदेशक मंडल में कोई अजा./अजजा. निदेशक नहीं है। समिति का पुरजोर मानना है कि एसबीआई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त रक्षा के लिए निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।इसलिए समिति सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाए। इस प्रयोजन के लिए समिति रियायत/छूट, यदि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, की भी सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

1.8 एसबीआई के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। एसबीआई अधिनियम, 1955 के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 1974 के अनुसार, बैंक को केंद्र सरकार को कर्मचारियों का एक पैनल (प्रतिनिधि संघों द्वारा यथा नामित) विचारार्थ प्रदान करना होता है। तदनुसार, बैंक को अधिकारियों से तीन नाम और कामगार कर्मचारियों से तीन नाम सरकार को उपलब्ध कराने होंते हैं। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, जो एसबीआई में 2 प्रतिनिधि संघ हैं, द्वारा प्रस्तुत नामों की सूची में अजा./ अजजा.श्रेणी का कोई सदस्य नहीं है। संघों से प्राप्त नामों की सूची भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा एसबीआई अधिनियम में किसी अन्य यूनियन/एसोसिएशन द्वारा अनुशंसित नामों की सिफारिश करने का कोई प्रावधान नहीं है।

समिति की टिप्पणी

1.9 समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि एसबीआई के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 1974 द्वारा की जाती है। बैंक को केन्द्र सरकार को कर्मचारियों का एक पैनल (प्रतिनिधि संघों द्वारा यथा नामित) विचारार्थ उपलब्ध कराना होता है। तदनुसार, बैंक को अधिकारियों से तीन नाम और कामगार कर्मचारियों से तीन नाम सरकार को उपलब्ध कराने होते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि एसबीआई में दो प्रतिनिधि संघों सहित ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत नामों की सूचियों में बोर्ड में

अजा./अजजा. श्रेणी के सदस्य के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति निदेशक मंडल में नामांकन के लिए विचारित भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित पात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के नामों से अवगत होना चाहेगी और इनकी अस्वीकृति के कारणों से भी अवगत होना चाहेगी। समिति सदस्यों के नामांकन के लिए उक्त संगठनों द्वारा उपयोग किए जा रहे मानदंडों से भी अवगत होना चाहती है। समिति मंत्रालय/बैंक से निदेशक मंडल में नामांकन के लिए आवश्यक अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी करने और एक पैनल का गठन करने का भी आग्रह करती है जो उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। समिति यह भी चाहेगी कि वित्त मंत्रालय इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाए ताकि भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी बैंकों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

सिफ़ारिश (क्र.सं.4)

1.10 समिति को यह जानकर निराशा हुई है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक के पास देश की एक तिहाई आबादी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनुलग्नकों से पता चलता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत बहुत निराशाजनक है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋणों के समग्र संवितरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 2% से 5% तक है। समिति का दृढ़ मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नोडल बैंक होने के नाते एसबीआई को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिकतम निधियां वितरित करके अन्य बैंकों के लिए एक मॉडल तैयार करना चाहिए क्योंकि उनकी वसूली/पुनर्भुगतान दर का प्रतिशत भी अधिक है। यह वास्तव में एक खेदजनक स्थिति है जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनकी आबादी और आवश्यकताओं की तुलना में विकास का सबसे कम हिस्सा मिलता है। इसलिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि एसबीआई को ऐसी सभी सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार करना चाहिए ताकि समाज के कमजोर हिस्से को वित्तीय रूप से अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके और वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए योगदान दे सकें।

सरकार का उत्तर

1.11 भारतीय स्टेट बैंक के पास विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए सभी प्रकार की ऋण आवश्यकताओं (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) को पूरा करने के लिए एक अलग और अनन्य योजनाअर्थात स्टैंड-अप इंडिया है, जिसे विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैं। इस उत्पाद के तहत, एक लाभार्थी संपार्श्विक प्रतिभूति की किसी भी शर्त के बिना 1.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

बैंक ने 31.01.2022 तक 1.58 लाख अजा./अजजा. एमएसएमई लाभार्थियों को कुल 4,982 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी है, जिसमें वर्तमान कुल बकाया 3,649 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा बैंक ने 2019 से स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के साथ समझौता किया है, जो आज की तारीख में सक्रिय है। बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए व्यवहार्य व्यावसायिक प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समिति की टिप्पणी

1.12 समिति पिछले वर्ष की तुलना में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम के बारे में जानना चाहती है।

सिफारिश (क्र.सं. 5)

1.13 एसबीआई के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को कम ऋण प्रवाह/ऋण का मुख्य कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से पर्याप्त ऋण आवेदन प्राप्त न होना है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध V में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति का प्रतिशत वर्ष के लिए वितरित कुल शिक्षा ऋण का केवल 1.6% था। अजजा के मामले में प्रतिशत 0.27 था। वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए प्रतिशत 1.75% था जबकि अ.ज.जा.के लिए यह 0.53% था। इसी प्रकार, आवास, एमएसएमई जैसे विभिन्न क्षेत्रों के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी दर्शाने वाले अनुबंध VI में आंकड़े अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों की बहुत दयनीय स्थिति दर्शाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्वरोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि ऋण आदि के लिए स्वीकृत ऋण उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभी भी हमारे देश में जनसंख्या का सबसे गरीब तबका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उनके बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। चूंकि अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता अभी भी गरीब, अनपढ़ और बैंक की ऋण योजनाओं से अनजान हैं, इसलिए ब्रोशर और अन्य साहित्य के माध्यम से प्रचार का सीमित उपयोग होगा। जन जागरूकता पैदा करने के अलावा, अधिक वांछनीय तरीका यह होगा कि बैंक के फील्ड स्टाफ ऐसे उधारकर्ताओं से संपर्क करें और उन्हें योजनाओं की मुख्य विशेषताओं और होने वाले फायदों के बारे में बताएं। स्टेट बैंक को अपनी शाखाओं को सलाह देनी चाहिए कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की ऋण आवश्यकताओं को समझने और क्रेडिट योजना में शामिल करने के लिए निरंतर बैठकें आयोजित करें। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि भारतीय स्टेट बैंक को इस दयनीय स्थिति में बदलाव के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और अपने कुल ऋण संवितरण में से अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। समिति का यह भी दृढ़ मत है कि एसबीआई को डॉ बीआर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के नाम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान कार्य सहित स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए कम से कम 100 विदेशी छात्रवृत्ति प्रायोजित करनी चाहिए। समिति को इस संबंध में बैंक द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.14 31.03.2021 और 30.09.2021 की स्थिति अनुसार का बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के तहत अ.जा./अ.ज.जा.को ऋण (करोड़ रुपये में) देने से संबंधित आँकड़े इसके साथ संलग्न है (अनुबंध I)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को स्वीकृत शिक्षा ऋणों के संबंध में आंकड़े ग्राहकों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण पर आधारित हैं। आवेदनों में श्रेणी की घोषणा अनिवार्य नहीं है। शिक्षा ऋण योजना आईबीए की मॉडल शिक्षा ऋण योजना पर आधारित है और इसकी प्रकृति गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण है। बैंक द्वारा सावधानीपूर्वक इसका पालन किया जाता है।

इसके अलावा, यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को उधार देना वास्तव में पूरी स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्रेडिट में संस्थाओं (जैसे, साझेदारी, प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों) को उधार देने का अनुपात बहुत अधिक है, और अ.जा. / अ.ज.जा. या सामान्य श्रेणी के साथ ऐसी संस्थाओं की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। यह भी बताया गया है कि बैंक आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई सरकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करता है। माननीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए, बैंक ऐसे और शिविर आयोजित करने का प्रयास करेगा ताकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित छात्र और उधारकर्ता इन योजनाओं से अवगत हो सकें और अपनी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के विकास के लिए अधिकतम लाभ उठा सकें।

समिति की टिप्पणियां

1.15 समिति इस तथ्य को गंभीरता से लेती है कि निधियों के कुल संवितरण में से अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए समिति की सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा न तो कार्यान्वित किया गया है और न ही इस बारे में उत्तर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति निराशा के साथ नोट करती है कि डॉ बीआर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के नाम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए स्कूलों और अनुसंधान कार्य सहित उच्च शिक्षा के लिए कम से कम 100 विदेशी छात्रवृत्तियों को प्रायोजित करने की एक और अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश मंत्रालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से कार्यान्वित नहीं की गई है।

अतः समिति दोहराती है कि पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने और समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को प्रायोजित करने के लिए एसबीआई सहित सभी बैंकों को आवश्यक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ईमानदार प्रयास किए जाएं। समिति का यह मत है कि प्रस्तावित सिफारिशों को बैंक द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजना के तहत धन राशि के संवितरण के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जा सकता है।

सिफारिश (क्र.सं. 6)

1.16 समिति का मानना है कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से अलग-अलग ब्याज दर वसूलना बैंक का एकमात्र विवेकाधिकार है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। समिति का मानना है कि भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच अधिकतम पहुंच रखता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एसबीआई को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए क्रेडिट योजनाएं तैयार करनी चाहिए और इन लाभार्थियों से कम ब्याज दर वसूलनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। देश का सबसे बड़ा बैंक अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में इन योजनाओं को शुरू कर सकता है ताकि एक अधिक न्यायसंगत समाज अस्तित्व में आए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.17 बैंक मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया (विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए), पीएमईजीपी, एनयूएलएम और एनआरएलएम जैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को समुदाय के निचले तबके के कल्याण के लिए कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का व्यापक दायरा है और व्यावहारिक रूप से इन योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि का वित्तपोषण किया जा सकता है।

इन स्कीमों के अंतर्गत संबंधित सरकारी विभागों और कल्याण निगमों द्वारा ब्याज सहायता, मार्जिन मनी सहायता और राजसहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जिससे निधियों की लागत में काफी कमी आती है।

सभी सरकारी प्रायोजित योजनाओं में ब्याज दर अन्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में बहुत कम है। सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज सहायता और सब्सिडी लाभार्थी के लिए लागत को और कम कर देती है। बैंक लघु ऋण/ऋण के मामले में समाज के कमजोर वर्ग को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है। गारंटी शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाता है।

लाभार्थियों के लिए ऋण की वास्तविक लागत इस प्रकार है:-

योजना	प्रभावी ब्याज दर	ब्याज सहायता	राजसहायता उपलब्ध	शुद्ध ब्याज लागत

पीएमएसवीएनिधि	9.90%	7.00%	-	2.90%
ई मुद्रा	9.50%	-	-	9.50%
पीएमएमवाई (शिशु)	9.90%	2.00% सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक कोरोना काल के दौरान बढ़ाया गया।		7.90% (कोरोना काल के दौरान)
डीआरआई	4%	-	-	4%
डीएवाई-एनयुएलएम	9.90%	3.00%	-	6.90%
पीएमईजीपी	9.90%	-	15-35%	6.435% से 8.14%

समिति की टिप्पणियां

1.18 समिति यह जानकर प्रसन्नता है कि बैंक समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया (विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए), पीएमईजीपी, एनयूएलएम और एनआरएलएम को लागू कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत संबंधित सरकारी विभागों और कल्याण निगमों द्वारा ब्याज सहायता, मार्जिन मनी सहायता और राजसहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जिससे निधियों की लागत में काफी कमी आती है। सभी सरकारी प्रायोजित योजनाओं में ब्याज दर अन्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में बहुत कम है। बैंक समाज के कमजोर वर्ग को कम टिकट वाले ऋण/ऋण के मामले में संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है। गारंटी शुल्क भी बैंक द्वारा वहन किया जाता है। कमिटी ने नोट किया कि यद्यपि बैंक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण की वास्तविक लागत पर प्रकाश डाला है, बैंक स्टैंड अप इंडिया और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण की वास्तविक लागत पर चुप है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए हैं। समिति को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ है कि बैंक ने समिति की इस सिफारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि बैंक को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम ब्याज दर के साथ ऋण योजनाएं तैयार करनी चाहिए। समिति यह चाहती है कि उसे इस बारे में अवगत कराया जाये कि क्या बैंक अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी कोई विशिष्ट ऋण योजना चला रहा है? अतः समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि बैंक को विशेष रूप से कम ब्याज दरों के साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष ऋण योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में बैंक द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम से अवगत कराया जाये।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश (क्र.सं. 1)

2.1 समिति ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है और कुल 243330 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत 18.27 और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत 7.98 है। समिति को यह जानकर प्रसन्न है कि बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत आरक्षण संबंधी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एसबीआई द्वारा दिए गए भर्ती संबंधी विवरणों का विश्लेषण करते हुए समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि वर्ष 2016-17 से 2020 तक बैंक उन सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने में सक्षम रहा है, जिन्हें वर्षों से आगे बढ़ाया गया, हालांकि साथ ही समिति यह नोट कर चिंतित है कि विभिन्न ग्रेडों में अभी भी अनुसूचित जाति के 44 और अनुसूचित जनजाति के 37 पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि बैंक द्वारा इन रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाये क्योंकि लिपिक/पीओ ग्रेड शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड हैं। समिति को इससे संबंधित परिणामों से अवगत कराया जाये।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.2 बैकलॉग रिक्तियों को विशिष्ट और अलग समूह के रूप में माना जाता है, और सावधानीपूर्वक एक विशिष्ट और अलग समूह के रूप में भरा जाता है तथा उस विशेष भर्ती वर्ष की वर्तमान रिक्तियों के साथ कभी मिलाया नहीं जाता है। माननीय समिति की टिप्पणियों में उल्लिखित बैकलॉग रिक्तियों को बाद के भर्ती वर्ष 2020-21 में भर दिया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में पद नहीं भरे जाने पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा लिपिक संवर्ग के लिए अंतिम ऐसा विशेष भर्ती अभियान वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों की कमी को पूरा किया गया था।

सिफारिश (क्र.सं. 4)

2.3 समिति यह जानकर निराशा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक के पास देश की एक तिहाई आबादी के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु अलग से कोई योजना नहीं है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनुबंधों से पता चलता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत बहुत निराशाजनक है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ऋणों के समग्र संवितरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 2% से 5% तक है। समिति का दृढ़ मत है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नोडल बैंक होने के नाते एसबीआई को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिकतम निधियां वितरित करके अन्य बैंकों के लिए एक मॉडल तैयार करना चाहिए क्योंकि उनकी वसूली/चुकौती दर का प्रतिशत भी अधिक है। यह वास्तव में एक खेदजनक स्थिति है जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनकी आबादी और आवश्यकताओं की तुलना में विकास में सबसे कम हिस्सेदारी प्राप्त होती है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि एसबीआई को सभी सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण संबंधी निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार करना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्ग के अधिकांश लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके ताकि वें भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए योगदान दे सकें।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.4 भारतीय स्टेट बैंक के पास विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए सभी प्रकार की ऋण आवश्यकताओं (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) को पूरा करने के लिए एक पृथक और स्टैंड-अप इंडिया जैसे अनन्य उत्पाद है, जिसे विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस उत्पाद के तहत, लाभार्थी संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी किसी शर्त के बिना 1.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

बैंक ने दिनांक 31.01.2022 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कुल 1.58 लाख एमएसएमई लाभार्थियों को कुल 4,982 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कुल वर्तमान बकाया ऋण 3,649 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2019 से स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के साथ समझौता किया है, जो आज की तारीख में सक्रिय है। बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु व्यवहार्य और अर्थक्षम व्यावसायिक प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.5 कृपया अध्याय 1 का पैरा संख्या 1.12 देखें।

सिफारिश (क्र.सं. 7)

2.6 समिति पाती है कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऋण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण संगत दस्तावेजों की अनुपलब्धता, उच्च निरक्षरता, ग्रामीण लोगों की बैंक से संपर्क करने में संकोच करना है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण लोगों को बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न ऋण सुविधाओं से अवगत कराने की आवश्यकता है और जहां तक संभव हो उनके आवेदनों को मामूली और कमजोर आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण समय को कम से कम किया जाना चाहिए, तथा बहुत सारे दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। समिति का सुझाव है कि गरीब अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण लोगों को विकास के लिए बैंक द्वारा अत्यंत आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है और इसलिए जहां तक संभव हो उनके ऋण आवेदनों को आवेदक को बुलाकर और मौके पर दस्तावेजों संबंधी कमियों को दूर करके अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस आशय का उचित दिशानिर्देश तैयार किया जाये।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.7 ऋण आवेदनों को बैंक द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर निष्पक्ष रूप से संसाधित किया जाता है। भावी उधारकर्ताओं को अद्यतन सूचना/दस्तावेजों का प्रसार करके सभी अवसर प्रदान किए जाते हैं। बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ऋण आवेदकों को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है।

प्रचालन दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए लागू हैं कि आवेदनों को कमजोर आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाता है। आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए बैंक के पास निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक निर्धारित संरचना है।

बैंक ने गुणवत्ता प्रस्तावों की सोर्सिंग के लिए दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डीआईसीसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि

दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया परेशानी मुक्त हो, बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने साथ जोड़ा है।

सिफारिश (क्र.सं. 8)

2.8 देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा दायर बड़ी संख्या में मामले न्यायालय में लंबित हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एसबीआई को सौहार्दपूर्ण निपटान करके मामलों को अदालत से बाहर निपटाने का प्रयास करना चाहिए और छोटे सिविल और प्रशासनिक प्रकृति के मामलों के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समिति नोट करती है कि इस तथ्य के बावजूद कि बैंक ने कॉर्पोरेट सेंटर और बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सेल स्थापित किए हैं, हालांकि, बड़ी संख्या में मामले अभी भी न्यायालय और एसबीआई के एचआर विभागों में लंबित हैं। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि एसबीआई प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों में पर्याप्त कर्मचारियों और उचित बुनियादी ढांचे के साथ समुचित रूप से काम किया जाए। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि एसबीआई के प्रबंधन को बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के साथ त्रैमासिक बैठकें करनी चाहिए ताकि उनकी शिकायतों का पता चल सके। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संपर्क अधिकारियों की ओर से यह अनिवार्य है कि वे नियमित रूप से रोस्टरों की जांच करें और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधन के समक्ष उठाएं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.9 बैंक द्वारा मानव संसाधन संबंधी मुद्दों/मामलों को सौहार्दपूर्ण निपटान के माध्यम से सर्वोत्तम संभव सीमा तक न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें छोटे सिविल और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। इन मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा दायर मामले भी शामिल हैं। बैंक माननीय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रयास करना जारी रखेगा। संपर्क तंत्र और शिकायत निवारण के संबंध में माननीय समिति की सिफारिश के बारे में यह बताया गया है कि:

.

i. बैंक ने आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिए कॉरपोरेट सेंटर और सभी 17 सर्किलों में आरक्षण प्रकोष्ठों को सशक्त किया है।

ii. सभी 17 सर्किलों के संपर्क अधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया है, जिनकी अगले एक वर्ष के भीतर स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति होनी हैं, के स्थान पर ऐसे उपयुक्त अधिकारियों को तैनात किया गया है जो कम से कम 3 साल की सेवा प्रदान कर सकते हैं।

iii. संपर्क अधिकारियों के ज्ञान और कौशल में सुधार करने के लिए, बैंक ने विशेष रूप से त्रुटि रहित रोस्टर तैयार करने और रखने तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के सार्थक निवारण के लिए डिज़ाइन की गई कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

iv. संपर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों की अनिवार्य रूप से जांच की जा रही है।

v. शिकायतों के मूल कारणों के विश्लेषण और केन्द्रीय स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए कॉरपोरेट केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक शिकायत निवारण समितियों की स्थापना की गई है।

सिफारिश (क्र.सं. 9)

2.10 बैंक के उत्तर के अनुबंध III से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा बैंक के विरुद्ध विभिन्न सेवा/पदोन्नति संबंधी मामलों में 163 मामले दायर किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित मौजूदा तंत्र से वे संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, उत्पीड़न, स्थानांतरण, पदोन्नति नीति आदि के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा 253 शिकायतें दर्ज की गई हैं जो एसबीआई की असंतोषजनक स्थिति/कार्यकरण को दर्शाती हैं। एसबीआई में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जाली जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के कुछ मामले हैं जिनकी जांच की जा रही है। समिति जाली जाति प्रमाण पत्रों के लिए शून्य सहिष्णुता का रवैया रखती है जब तक कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में प्रथम दृष्टया स्पष्ट सबूत नहीं मिल जाते। समिति का मानना है कि बैंक के लिए जिंदगी भर काम करने के बाद झूठी शिकायतों के लिए बैंक के किसी भी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन दो साल के भीतर सेवा में शामिल होने के समय किया जाना चाहिए, न कि उनके करियर के अंतिम छोर पर या सेवानिवृत्ति के समय। समिति सिफारिश करती है कि इन सभी को अनंतिम पेंशन जारी करते समय पेंशन से जुड़े ऐसे सभी मामलों को तेजी से सुलझाया जाना चाहिए। बैंक को राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उठाने चाहिए और उन्हें हल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.11 दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में कुल 3,465 एचआर कोर्ट मामले लंबित थे, जिनमें से केवल 163 मामले (यानी, 5% से कम) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित थे। बैंक ने पदोन्नति, हस्तांतरण इत्यादि जैसे सभी सेवा मामलों के लिए एक बोर्ड अनुमोदित नीति बनाई है, और निर्धारित नीति का सभी स्तरों पर सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। बैंक ने एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है जो इस बात का उचित ध्यान रखता है कि रिपोर्ट किए गए उत्पीड़न के मामलों से तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटा जाए। बैंक ने भर्ती के समय जाति प्रमाण पत्रों के सावधानीपूर्वक सत्यापन और ज्वाइनिंग के दो साल के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपयुक्त निर्देश भी जारी किए हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सेवा के अंत में प्राप्त जाली जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायतों के मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोका जाए। बैंक माननीय समिति की सिफारिशों के अनुसार अपने सर्वोत्तम प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिफारिश (क्र.सं. 10)

2.12 समिति एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम की सराहना करती है जो एसबीआई फाउंडेशन के प्रमुख सीएसआर कार्यक्रमों में से एक है। यह गांवों को गोद लेने के माध्यम से किया जाने वाला एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और इसने कार्यान्वयन के लिए 6 जमीनी गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की है। समिति ने सुझाव दिया है कि एसबीआई को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बहुसंख्यक आबादी वाले गांवों को गोद लेने के लिए अपनी स्पष्ट नीति तैयार करनी चाहिए ताकि उनके लिए सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक कल्याण उन्मुख कार्यक्रम तैयार किया जा सके। समिति का मानना है कि अधिकांश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांव बहुत दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में हैं, जहां पानी, स्वच्छता, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है। एसबीआई अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत इन गांवों का स्वरूप बदलने और उन्हें पिछड़ेपन से विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.13 एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम को अल्प सेवित गांवों को शामिल करने और वंचित वर्गों के समग्र उत्थान के लिए तैयार किया गया है। एसबीआई ने नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों के दूरस्थ,

पिछड़े और अविकसित गांवों को शामिल करने के लिए विशेष ध्यान देने के साथ एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत गांवों को गोद लेने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया है।

ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गांव दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों से हैं और मुख्यरूप से अजा/अजजा आबादी वाले हैं। इन वंचित वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने जैसी विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। इस कार्यक्रम में इन गांवों को सामाजिक पिछड़ेपन से ऊपर उठाने और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने और इन गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई है।

अध्याय तीन

सिफारिशे/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

- **शून्य** -

अध्याय चार

सिफारिशे/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (क्र.सं.2)

4.1 समिति उत्तर से नोट करती है कि बैंक ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण समूह क के निम्नतम रैंक तक अर्थात कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -1 तक प्रदान किया जाता है। हालांकि एसबीआई में प्रबंधकीय स्तर पर अजा/अजजा के कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में उच्च समूह क स्तरों पर अजा/अजजा का प्रतिशत अपेक्षित संख्या से बहुत कम है। समिति सर्वसम्मति से इस विचार से सहमत है कि योग्य कर्मचारियों को आरक्षण का वैध अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया जाए। कतिपय मामलों में, समिति को प्राप्त अभ्यावेदन में समिति ने पाया कि प्रतिभाशाली और साफ रिकॉर्ड वाले वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को पदोन्नति से ठीक पहले अथवा पदोन्नति के समय छोटे-मोटे मामलों में आरोप लगाकर उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एसबीआई अपने संगठन में पदोन्नति मानदंड को संशोधित करे और योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अजा/अजजा अधिकारी को सीजीएम, डीएमडी आदि के उच्च पद पर पहुंचने दे ताकि वे सेवानिवृत्ति के समय अलग-थलग/भेदभाव महसूस न करें। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसे सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी मामले जिनकी पदोन्नति, पदोन्नति से ठीक पहले शुरू की गई छोटी लंबित जांच के कारण रुकी हुई थी, की समीक्षा की जाए और उन्हें उनके अनुसार उचित वैध पदोन्नति दी जाए। इस संबंध में, अजा/अजजा के कर्मचारियों को कम से कम डीजीएम के स्तर तक आरक्षण दिया जाए। इस तरह योग्य अजा/अजजा कर्मचारियों को सही समय पर पदोन्नति मिलेगी।

सरकार का उत्तर

4.2 बैंक में आरक्षण/छूट सहित पदोन्नति नीतियां भारत सरकार/आईबीए के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं। बैंक बिना किसी भेदभाव के सर्किलों में कार्यान्वयन के लिए निश्चित ग्रेड तक के कर्मचारियों के लिए मॉडल नीतियां तैयार करता है। इस प्रक्रिया में, बैंक हमेशा भर्ती/पदोन्नति और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की संरक्षण और देखभाल करता है।

दिनांक 23 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/4/2014-कल्याण के माध्यम से डीएफएस द्वारा जारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और रोजगार संबंधी सार-संग्रह के अनुसार और आईबीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार भी, पदोन्नति में आरक्षण कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल - I तक समान रूप से लागू किया जाता है जिसमें सीधी भर्ती, यदि कोई हो, में 75% से अधिक नहीं है। इसके अलावा, उसी सार-संग्रह के अनुसार, जहां पदोन्नति चयन द्वारा होती है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है (बैंक में सभी पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है)। तथापि, बैंक ने डीएफएस और आईबीए दिशा-निर्देशों के अनुसार मिडल प्रबंधन ग्रेड III तक छूट दी थीं।

जहां तक छोटी लंबित जांच के कारण रुकी हुई पदोन्नतियों के संबंध में माननीय समिति की सिफारिश का संबंध है, बैंक ने जो बताया वह इस प्रकार है:

एक) अनुशासनात्मक कार्रवाई को तब तक 'विचारणीय' अथवा 'लंबित' नहीं माना जाता है जब तक कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का विचार नहीं करता है और ऐसे अधिकारी की पदोन्नति सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाई जाती है।

दो) यहां तक कि अगर वह अधिकारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई 'विचारणीय' अथवा 'लंबित' है, तो उसे पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक उसका परिणाम रोक दिया जाता है।

तीन) सतर्कता नियमावली के अनुसार, सभी अनुशासनात्मक मामलों को पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना जरूरी है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए चार्जशीट किए गए कर्मचारी को एक मजबूत मंच प्रदान करने के अतिरिक्त समय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

समिति की टिप्पणी

4.3 कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 1.6 देखिए।

सिफारिश (क्र.सं. 3)

4.4 समिति इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि वर्तमान में एसबीआई के निदेशक मंडल में कोई अजा/अजजा का निदेशक नहीं है। समिति का मानना है कि एसबीआई में अजा/अजजा के

कर्मचारियों के हितों के समुचित संरक्षण के लिए निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व दिया जाए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में अजा/अजजा के पात्र सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए समुचित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाए। इस प्रयोजन के लिए समिति रियायत/छूट, यदि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, की भी सिफारिश करती है

सरकार का उत्तर

4.5 एसबीआई के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 1974 के अनुसार, बैंक को विचार के लिए केंद्र सरकार को कर्मचारियों का एक पैनल (प्रतिनिधि संघों द्वारा नामित) प्रदान करना होगा। तदनुसार, बैंक को अधिकारियों में से 3 नाम और वर्कमेन कर्मचारियों में से 3 नाम सरकार को देने होंगे। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, जो एसबीआई में 2 प्रतिनिधि संघ हैं, द्वारा प्रस्तुत नामों की सूची में अजा/अजजा श्रेणी का कोई सदस्य नहीं है। संघों से प्राप्त नामों की सूची भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में किसी अन्य यूनियन/एसोसिएशन द्वारा अनुशंसित नामों की सिफारिश करने का कोई प्रावधान नहीं है।

समिति की टिप्पणी

4.6 कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 1.9 देखिए।

सिफारिश (क्र.सं. 4)

4.7 समिति यह नोट करके निराश है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक के पास देश की एक तिहाई आबादी, अजा/अजजा के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनुबंधों से पता चलता है कि सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत बहुत निराशाजनक है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ऋणों के समग्र संवितरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा **2%** से **5%** तक है। समिति का दृढ़ मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नोडल बैंक होने के नाते एसबीआई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिकतम निधियां वितरित करके अन्य बैंकों के लिए एक मॉडल तैयार करे क्योंकि उनकी

वसूली/चुकौती दर का प्रतिशत भी अधिक है। यह वास्तव में एक दयनीय स्थिति है जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनकी आबादी और आवश्यकताओं की तुलना में विकास का सबसे छोटा हिस्सा मिलता है। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एसबीआई ऐसी सभी सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार करे ताकि समाज के कमजोर हिस्से की बड़ी अबादी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके और वह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे सकें।

सरकार का उत्तर

4.8 भारतीय स्टेट बैंक के पास विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए सभी प्रकार की ऋण आवश्यकताओं (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) को पूरा करने के लिए एक अलग और अनन्य उत्पाद अर्थात स्टैंड-अप इंडिया है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैं। इस उत्पाद के तहत, एक लाभार्थी संपार्श्विक प्रतिभूति की किसी भी शर्त के बिना 1.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

बैंक ने 31.01.2022 तक 1.58 लाख अ.जा./अ.ज.जा.एमएसएमई लाभार्थियों को कुल 4,982 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी है, जिसमें वर्तमान कुल बकाया 3,649 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा बैंक ने 2019 से स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के साथ समझौता किया है, जो आज की तारीख में सक्रिय है। बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए व्यवहार्य और अर्थक्षम व्यावसायिक प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

<u>समिति की टिप्पणी</u>

4.9 कृपया अध्याय 1 का पैरा संख्या 1.12 देखें।

सिफारिश (क्र.सं. 5)

4.10 एसबीआई के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को कम ऋण प्रवाह/ऋण का मुख्य कारण अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से पर्याप्त ऋण आवेदन प्राप्त न होना है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध V में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति का प्रतिशत वर्ष के लिए वितरित कुल शिक्षा ऋण का केवल 1.6% था। अजजा के मामले में प्रतिशत 0.27 था। वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए प्रतिशत 1.75% था जबकि अ.ज.जा.के लिए यह 0.53% था। इसी प्रकार, आवास, एमएसएमई जैसे विभिन्न क्षेत्रों के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी दर्शाने वाले अनुबंध VI में आंकड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुत दयनीय स्थिति दर्शाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्वरोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि ऋण आदि के लिए स्वीकृत ऋण उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभी भी हमारे देश में जनसंख्या का सबसे गरीब तबका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उनके बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। चूंकि अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता अभी भी गरीब, अनपढ़ और बैंक की ऋण योजनाओं से अनजान हैं, इसलिए ब्रोशर और अन्य साहित्य के माध्यम से प्रचार का सीमित उपयोग होगा। जन जागरूकता पैदा करने के अलावा, अधिक वांछनीय तरीका यह होगा कि बैंक के फील्ड स्टाफ ऐसे उधारकर्ताओं से संपर्क करें और उन्हें योजनाओं की मुख्य विशेषताओं और होने वाले फायदों के बारे में बताएं। स्टेट बैंक को अपनी शाखाओं को सलाह देनी चाहिए कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की ऋण आवश्यकताओं को समझने और क्रेडिट योजना में शामिल करने के लिए निरंतर बैठकें आयोजित करें। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि भारतीय स्टेट बैंक को इस दयनीय स्थिति में बदलाव के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और अपने कुल ऋण संवितरण में से अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। समिति का यह भी दृढ़ मत है कि एसबीआई को डॉ बीआर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के नाम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान कार्य सहित स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए कम से कम 100 विदेशी छात्रवृत्ति प्रायोजित करनी चाहिए। समिति को इस संबंध में बैंक द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

4.11 31.03.2021 और 30.09.2021 की स्थिति अनुसार का बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के तहत अ.जा./अ.ज.जा.को ऋण (करोड़ रुपये में) देने से संबंधित आँकड़े इसके साथ संलग्न है (अनुबंध I)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को स्वीकृत शिक्षा ऋणों के संबंध में आंकड़े ग्राहकों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण पर आधारित हैं। आवेदनों में श्रेणी की घोषणा अनिवार्य नहीं है। शिक्षा ऋण योजना आईबीए की मॉडल शिक्षा ऋण योजना पर आधारित है और इसकी प्रकृति गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण है। बैंक द्वारा सावधानीपूर्वक इसका पालन किया जाता है।

इसके अलावा, यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को उधार देना वास्तव में पूरी स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्रेडिट में संस्थाओं (जैसे, साझेदारी, प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों) को उधार देने का अनुपात बहुत अधिक है, और अ.जा. / अ.ज.जा. या सामान्य श्रेणी के साथ ऐसी संस्थाओं की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। यह भी बताया गया है कि बैंक आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई सरकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करता है। माननीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए, बैंक ऐसे और शिविर आयोजित करने का प्रयास करेगा ताकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित छात्र और उधारकर्ता इन योजनाओं से अवगत हो सकें और अपनी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के विकास के लिए अधिकतम लाभ उठा सकें।

<u>समिति की टिप्पणी</u>

4.12 कृपया अध्याय 1 का पैरा संख्या 1.15 देखें।

सिफ़ारिश (क्र.सं. 6)

4.13 समिति का मानना है कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से अलग-अलग ब्याज दर वसूलना बैंक का एकमात्र विवेकाधिकार है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। समिति का मानना है कि भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच अधिकतम पहुंच रखता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एसबीआई को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए क्रेडिट योजनाएं तैयार करनी चाहिए और इन लाभार्थियों से कम ब्याज दर वसूलनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। देश का सबसे बड़ा बैंक अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में इन योजनाओं को शुरू कर सकता है ताकि एक अधिक न्यायसंगत समाज अस्तित्व में आए।

सरकार का उत्तर

4.14 बैंक मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया (विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए), पीएमईजीपी, एनयूएलएम और एनआरएलएम जैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को समुदाय के निचले तबके के कल्याण के लिए कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का व्यापक दायरा है और व्यावहारिक रूप से इन योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि का वित्तपोषण किया जा सकता है।

इन स्कीमों के अंतर्गत संबंधित सरकारी विभागों और कल्याण निगमों द्वारा ब्याज सहायता, मार्जिन मनी सहायता और राजसहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जिससे निधियों की लागत में काफी कमी आती है।

सभी सरकारी प्रायोजित योजनाओं में ब्याज दर अन्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में बहुत कम है। सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज सहायता और सब्सिडी लाभार्थी के लिए लागत को और कम कर देती है। बैंक लघु ऋण/ऋण के मामले में समाज के कमजोर वर्ग को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है। गारंटी शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाता है।

लाभार्थियों के लिए ऋण की वास्तविक लागत इस प्रकार है:-

योजना	लागू ब्याज दर	ब्याज मे छूट	उपलब्ध राजसहायता	निवल ब्याज लागत
पीएम स्वनिधि	9.90%	7.00%	-	2.90%
ई मुद्रा	9.50%	-	-	9.50%
पीएमएमवाई (शिशु)	9.90%	2.00% कोविड अवधि के दौरान सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक विस्तारित		7.90% (कोविड अवधि के दौरान) 9.90%
डीआरआई	4%	-	-	4%
डीएवाई- एनयूएलएम	9.90%	3.00%	-	6.90%
पीएमईजीपी	9.90%	-	15-35%	6.435% से 8.14%

समिति की टिप्पणी

4.15 कृपया अध्याय 1 के पैरा संख्या 1.18 देखें।

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

- शून्य –

डॉ. किरिट पी. सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

नई दिल्ली;
दिसंबर**, 2022,**
अग्रहायण**, 1944** (शक)

परिशिष्ट-II

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें(

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (सत्रहवीं लोक सभा) का विश्लेषण।

1	सिफारिशों की कुल संख्या	10
2.	सिफारिशेंटिप्पणियां/, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क्र .सं .1, 4, 7, 8, 9 और 10)	06
	कुल का प्रतिशत	60%
3.	सिफारिशेंटिप्पणियां/, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती (शून्य)	शून्य
	कुल का प्रतिशत	शून्य
4.	सिफारिशेंटिप्पणियां/, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है .सं .क्र)2, 3, 5 और 6)	04
	कुल का प्रतिशत	40%
5.	सिफारिशेंटिप्पणियां/, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (शून्य(	शून्य
	कुल का प्रतिशत	शून्य